

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

होरिल राय

वनाम

अनवाद सर्व साधारण द्वारा अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान एवं भरोसी सदा वगै०

पि० सं०-194 दि० 3-7-14
द्वारा नया सिद्ध
3
12-7-14
प्र० सं०

वाद संख्या-27/13-14 एवं 75/13-14

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

26.12.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है। वादी के पत्नी रेखा देवी द्वारा जिला जनता दरवार में दिये आवेदन के आलोक में वाद संख्या-75/13-14 भी इस वाद के साथ संलग्न किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा गोलमा थाना तिलकेश्वर ओ० पी० जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
172	462	B.k.D	उ०-घनश्याम भारती
	511	0-04-06	द०-नारायण पोद्दार
360	521 नया		पु०-नासी नदी
			प०-ठक्को मुखिया

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वाद पत्र की जमीन वादी को केवाला के द्वारा प्राप्त है तथा राजस्व भी अदाय करते है। वादी के विक्रेता को यह जमीन साबिक खतियान के आधार पर प्राप्त है तथा आवेदक के खरीद के पहले वादी के विक्रेता का दखल कब्जा था। वाद पत्र की जमीन पर वादी का जोत आबाद तथा दखल कब्जा केवाला के बाद से चला आ रहा है। नया खतियान सर्वे आमला के भूल के कारण अनावाद सर्व साधारण बन गया है जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष वादी के जमीन पर लगे फसल को लुटना चाहते है जो इस दावा पत्र

को दाखिल करने का आधार है। वादी के साथ प्रतिवादी द्वितीय पक्ष जमीन पर आकर विवाद किया है तथा विवादी जमीन को वादी गिद्धी भराई कर समतल बनाया जिस पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष अपना झोपड़ी खड़ा कर दिया है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष अंचलाधिकारी का बयान है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में नदी थी, भरैन होकर भीठ हो गया एवं उसे भूमिहीनो/महादलितो को बन्दोबस्ती अभिलेख सं०-5/2009-10 के द्वारा आवंटित की गई है इस संदर्भ में ज्ञात हो कि प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के ज्ञापांक 671 दिनांक 21.10.2009 एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा के ज्ञापांक 9014 दिनांक 23.10.2009 के आलोक में महादलित परिवारो को गृहस्थल योजना अन्तर्गत प्रति परिवार 03 डि० अधिसीमा संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से देश नक्शा के साथ स्थानीय सर्वेक्षण कर भू आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया एवं वितरण किया गया छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत स्थल पर महादलित परिवारो जिनको भूबन्दोबस्त किया गया है का दखल कब्जा वो झोपड़ी वो अधिपत्य कायम है एवं वादी इर्द गिर्द में भी नहीं है और न ही उन्हे सम्बद्धता है। अन्य प्रतिवादी लाभूक महादलित परिवार है वादी के नाम तथा कथित जमाबंदी वो लगान रसीद को विधानुसार निरस्त करने की प्रवृत्त किया गया है।


दूसरी तरफ विपक्षीगण नं०-2 से 5 तक का संक्षेप में कहना है कि प्रतिवादीगण को पूर्वजो के समय से ही शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है जिससे वादी को कोई एलाका वो सरोकार नहीं है चूकि विवादी भूमि पर प्रतिवादीगण महादलित का अवासीय मकानमय सहन के शांतिपूर्ण चला आ रहा है जहाँ तक एक ओर सरकार द्वारा महादलित को भूमि उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे वादी अवैध केवाला एवं फर्जी कागजात के आधार पर वेदखल एवं वेघर करने हेतु उक्त वाद पत्र दायर किये है। हाल खतियान भी अनावाद सर्व साधारण दर्ज है जो सरकारी भूमि का होना दर्शाता है एवं पर्चा की सम्पुष्टि की जाती है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं से सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित पुराना खेसरा 462, 511 पर अधिकार के प्रख्यापन की मॉग की गई है। वादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि वादी को केवाला से प्राप्त है। वादी द्वारा केवाला की प्रति संलग्न की गई है। वादी अपने वाद पत्र में कहते है कि हाल खतियान अनावाद सर्व साधारण बन गया। यदापि हाल खतियान की प्रति संलग्न नहीं की गई है एवं यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पुराना खेसरा खेसरा 462 से कौन सा नया खेसरा बना है। केवाला के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा वादी को दिनांक 18.10.11 को केवाला किया गया

जबकि हाल खतियान उससे पूर्व ही बन गया था यानि निबंधन की तिथि को प्रश्नगत भूमि अनावाद सर्व साधारण ही रही होगी जबकि दिनांक 18.10.11 को विक्रेता द्वारा उक्त भूमि का केवाला वादी के नाम से किया गया। बिहार सरकार या सर्व साधारण की भूमि को किसी रैयत द्वारा केवाला किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी के दावा को खारिज किया जाता है। दुसरे तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर उनलोगो को बन्दोबस्ती पर्चा मिला है परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद संख्या-22/13-14 में अंचलाधिकारी कु0 स्थान पूर्वी द्वारा संलग्न पर्चा आवंटन संबंधी अभिलेख एवं पत्रांक 703 दिनांक 23.12.2013 के माध्यम से दिये गये नक्शा एवं भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पुराना खेसरा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नया खेसरा 521 बहुत सारे पुराना खेसरा से बना है एवं जिसका कुल रकवा 37 एकड़ है। नया खेसरा 521 के कुल रकवा 37 एकड़ में से 2 एकड़ 40 डि0 पर 80 भूमिहीनो को बन्दोबस्ती पर्चा निर्गत किया गया है जिसका पुराना खेसरा 283, 371, 447, 459 एवं 460 है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणो को यदि पर्चा निर्गत है तो वह प्रश्नगत भूमि (पुराना खेसरा 462 एवं 511) पर नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण का दावा भी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वर्तमान परिस्थिति में साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी दोनो के दावा को खारिज किया जाता है एवं हाल खतियान के अनुसार अनावाद बिहार सरकार का दावा मान्य होगा।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित


26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल


26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल